रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082022-237849
CG-DL-E-02082022-237849

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2022/श्रावण 11, 1944
No. 385] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2022/SHRAVANA 11, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2022

सं. पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(1)/2018 (पी-3264).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 11 के खंड (छ) के साथ पठित धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, अपने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (शुल्क एवं अन्य प्रभार उगाही) विनियम, 2007 में आगे संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार उगाही) संशोधन विनियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनकी प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क एवं अन्य प्रभार उगाही) विनियम, 2007 के विनियम 3 में दी गई तालिका के लिए , अर्थात्: -

i. 'पाइपलाइन प्रस्ताव' शीर्षक के तहत क्रम सं. 3 में "स्पर लाइन" शब्दों के बाद '/ टाई-इन कनेक्टिविटी पाइपलाइन' शब्दों को जोड़ा जाएगा।

ii क्रम सं. 11 के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :-

12.	क) अन्य संस्था के पक्ष में प्राधिकार के अस्वीकरण के लिए आवेदन; (या) ख) बहुसंख्यक इक्विटी शेयरधारिता/हिस्सेदारी (कम से कम 51%) के हस्तांतरण से जुड़े प्राधिकार के हस्तांतरण के लिए आवेदन ; (या) ग) संस्था द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को प्राधिकार के हस्तांतरण के लिए आवेदन (टिप्पण 2 देखें) ; (या) घ) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा अपनी मूल कंपनी को प्राधिकार का हस्तांतरण (टिप्पण 2 देखें)	20,00,000 प्रति जीए/पाइपलाइन
13.	51% से कम इक्विटी शेयरधारिता/हिस्सेदारी के हस्तांतरण के लिए आवेदन	10,00,000 प्रति जीए/पाइपलाइन

टिप्पणी:

1. क्रम सं 12 और 13 के लिए आवेदन पीएनजीआरबी (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, बनाने, संचालित करने या विस्तारित करने के लिए संस्थाओं को प्राधिकृत करना) विनियम 2008; पीएनजीआरबी (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, बनाने, संचालित करने या विस्तारित करने के लिए संस्थाओं को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008; पीएनजीआरबी (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को बिछाने, बनाने, संचालित करने या विस्तारित करने के लिए संस्थाओं को प्राधिकृत करना) विनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किए जाएं, यथा-लागू ।
2. एक से अधिक जीए या पाइपलाइन के मामले में यदि संस्था द्वारा एक मूल कंपनी से एक एकल पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी या एक एकल पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से मूल कंपनी को एक ही आवेदन में हस्तांरित करने का प्रस्ताव है, तो पहले जीए या पाइपलाइन के लिए 20,00,000 रुपये और बाद के प्रत्येक जीए या पाइपलाइन के लिए 5,00,000 रुपये अतिरिक्त राशि ।

ii. विनियम 4 उप-विनियम (2क) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2क) तालिका में निर्दिष्ट निम्नलिखित वार्षिक अन्य प्रभार, समाशोधन कॉर्पोरेशन के साथ एक गैस विनिमय, समाशोधन कॉरपोरेशन के बिना एक गैस विनिमय और एक समाशोधन कॉर्पोरेशन द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनिमय) विनियम, 2020 के तहत बोर्ड द्वारा इसे दिए गए प्राधिकार की तारीख से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में देय होंगे। अर्थात्:

तालिका

क्रम सं.	विवरण	राशि (रु.)
1.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनिमय) विनियम, 2020 के विनियम 13 के तहत वार्षिक और अन्य प्रभार:	
	क) समाशोधन कॉरपोरेशन के साथ गैस विनिमय के लिए; (या) ख) समाशोधन कॉरपोरेशन के बिना गैस विनिमय के लिए;	(रु.) 25,00,000 या लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान गैस विनिमय के कुल राजस्व (करों को छोड़कर) का 1%, जो भी अधिक हो
	ग) समाशोधन कॉरपोरेशन के लिए	(रु.) 25,00,000 या लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार संबंधित

क्रम सं.	विवरण	राशि (रु.)
		वित्तीय वर्ष के दौरान समाशोधन कॉरपोरेशन कुल राजस्व (करों को छोड़कर) का 1%, जो भी अधिक हो

टिप्पण : अन्य प्रभारों का भुगतान समाशोधन कॉरपोरेशन के साथ या समाशोधन कॉरपोरेशन के बिना गैस विनिमय या समाशोधन कॉरपोरेशन के संबंध में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित राजस्व (करों को छोड़कर) को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भ में किया जाए। भुगतान की गई और देय राशि के अंतर को अगले वित्तीय वर्ष के लिए भुगतान करते समय समायोजित किया जाएगा।

”

अनिल कुमार गर्ग, संयुक्त सलाहकार

[विज्ञापन-III/4/असा./208/2022-23]

पाद टिप्पण : प्रमुख विनियम सा का.नि. 732 (अ), दिनांक 26 नवंबर, 2007 और संशोधित सा का.नि. 477 (अ), दिनांक 7 जून, 2010 फा.सं. विधिक/50/2013 दिनांक 21 जून, 2013, फा.सं. पीएनजीआरबी/ वित्त एवं वा./संशोधन पीएनजीआरबी विनियम, दिनांक 8 जनवरी, 2019, फा.सं. पीएनजीआरबी/वित्त/ 8-ओसी (1)/2018 दिनांक 14 मई, 2020, फा.सं. पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(1)/2018 (पी-836) दिनांक 28 सितंबर, 2020 और फा.सं.पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(2)/2018 (पी-3270) दिनांक 27 अगस्त, 2021द्वारा अधिसूचित किये गये थे ।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2022

No. PNGRB/Fin/8-OC(1)/2018 (P-3264).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 61 read with clause (g) of section 11 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007, namely:-

1. **Short title and commencement:**

   (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Amendment Regulations, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For the table given in regulation 3 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007, namely: -

i. In S. No. 3 under the head ‘Pipeline Proposal’ the words namely ‘/Tie-in connectivity pipeline’ shall be inserted after the words “spur line”.

ii. After S. No. 11, the following shall be inserted: -

12.	a) Application for renunciation of authorization in favour of another entity; (or) b) Application for transfer of authorization involving transfer of majority equity shareholding/ stake (at least 51%); (or) c) Application for transfer of authorisation by the entity to its wholly owned subsidiary company (Refer No. 2); (or)	20,00,000 per GA/pipeline

	d) Transfer of authorisation by the wholly owned subsidiary company to its parent company (Refer No. 2).	
13.	Application for transfer of less than 51% equity shareholding/ stake	10,00,000 per GA/pipeline

Note:

1. Applications for S. No. 12 and 13 shall be submitted as per provisions of PNGRB (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations 2008; PNGRB (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008; PNGRB (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010, as applicable.
2. In case of more than one GA or pipeline is proposed by the entity to be transferred from a parent company to a single wholly owned subsidiary or from a single wholly owned subsidiary to parent company in a single application, then Rs. 20,00,000 for the first GA or pipeline plus additional amount of Rs. 5,00,000 per each subsequent GA or Pipeline.

iii. In regulation 4 sub-regulation (2A), the following shall be substituted, namely: -

"(2A) The following annual other charges specified in the Table, shall be payable by a gas exchange with clearing corporation, a gas exchange without clearing corporation and a clearing corporation for every financial year with effect from the date of authorisation granted to it by the Board under Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Exchange) Regulations, 2020, namely:

TABLE

Sr. No.	Particulars	Amount (Rs.)
1.	Annual and other charges under regulation 13 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Exchange) Regulations, 2020:	
	a) for a Gas Exchange with Clearing Corporation; (or) b) for a Gas Exchange without clearing corporation;	Rs. 25,00,000 or 1% of total Revenue of the gas exchange (excluding taxes) during the relevant financial year as per the audited financial statements, whichever is higher
	c) for a Clearing Corporation	Rs. 25,00,000 or 1% of the total Revenue of the clearing corporation (excluding taxes) during the relevant financial year as per the audited financial statements, whichever is higher

Note: Other Charges in respect of gas exchange with clearing corporation or gas exchange without clearing corporation or clearing corporation may be initially paid considering the revenue accrued (excluding taxes) during the previous financial year. Difference of amount paid and payable shall be adjusted at the time of making payment for the next financial year.

"

ANIL KUMAR GARG, Jt. Adviser

[ADVT.-III/4/Exty./208/2022-23]

Foot Note : The Principal regulations were notified *vide* No. G.S.R. 732 (E), dated 26th November, 2007 and amended vide G.S.R. 477 (E), dated 7th June, 2010, F. No. Legal/50/2013 dated 21st June, 2013, F. No. PNGRB/F&C/Amendment PNGRB Regulations, dated 8th January, 2019, F. No. PNGRB/Fin./8-OC (1)/2018 dated 14th May, 2020, F. No. PNGRB/Fin/8-OC(1)/2018(P-836) dated 28th September, 2020 and F.No. PNGRB/Fin/8-OC(2)/2018 (P-3270) dated 27th August, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.